जानकारियां प्राप्त करने हेतु आम नागरिक को प्राप्त सुविधाएं

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कार्यालय में लोक सूचना संबंधी जानकारियॉ प्राप्त करने हेतु आम नागरिकों के लिए पृथक से कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है । वांछित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां मांग किये जाने पर नियमानुसार दी जाती है। इस संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा प्रसारित आदेश क्र0 31–28/27/97 (1) दिनांक 14.8.97 की छायाप्रति परिशिष्ट–'स' पर संलग्न है ।

परिशिष्ट–स

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय
––––

क्र0 एफ–31–28–सत्ताईस/97 (1) भोपाल, दिनांकः 14.8.97

प्रति,

1. उपाध्यक्ष,
   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
   नर्मदा भवन, भोपाल
2. समस्त सदस्य
   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
   नर्मदा भवन, भोपाल
3. समस्त मुख्य अभियन्ता,
   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
   नर्मदा भवन, भोपाल
4. सचिव,
   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
   नर्मदा भवन, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन/पुनर्वास)
   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
   नर्मदा भवन, भोपाल

विषयः– नर्मदा घाटी विकास विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने बाबत ।

–00–

शासन की नई नीति के अनुसार विभाग के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्ण लिया गया है कि विभाग से संबंधित निम्न अभिलेखों को सत्यापित प्रतिलिपि की मांग किये जाने पर एवं आवेदक द्वार निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जाय –सभी प्रकार के भुगतान किये गये मस्टर रोल, बिल, व्हाउचर की प्रतिलिपि

1 कार्यो से संबंधित स्वीकृति के आदेशों की प्रतिलिपि

2 कार्योदेश एवम् सामग्री क्रय आदेश की प्रतिलिपि

3 भुगतान किये गये कार्य/क्रय से संबंधित माप पुस्तिका को प्रतिलिपि

4 अनुबंध की प्रतिलिपि

5 स्वीकृति प्राक्कलन की प्रतिलिपि

6 स्वीकृति निविदाओं के तुलनात्मक पत्रक की प्रतिलिपि

2/—उपरोक्त रिकार्ड की प्रतियॉ संबंधित कार्यपालन यंत्री के कार्यालय से प्रदाय की जावेगी । आवेदन प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने के 30 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में सूचित कर दिया जावेगा ।

3/—उपरोक्त अभिलेखों की प्रतियों देने हेतु निम्नुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :—

ए—4	साईज पेपर की प्रति (एक ओर)	2.00 रूपये
ए—3	साईज पेपर की प्रति (एक ओर)	4.00 रूपये

4/—उपरोक्त कार्यवाही संभाग मे संलग्न प्रपत्र के अनुसार पृथक पंजी मे संधारित की जावेगी । जो भी आवेदक संभागीय कार्यालय में आवेगें,उन्हे आवेदन आदि करने के संबंध में समुकचत मार्ग दर्शन दिया जाए । इस कार्य हेतु संभागीय कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी को मनोनीत किया जावे, जिसकी सूचना अधीक्षण यंत्री एवम मुख्य अभियन्ता को भी दी जावे । इस अधिकारी /कर्मचारी का नाम सर्व संबंधित की जानकारी के लिए सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावे ।

5/—इसके साथ ही पैरास—1 प्रदर्शित सूची के क्र. 1,4, एवं 5 को छोडकर शेष विषय क्र. 2,3,6,एवं 7, से संबंधित अभिलेख मांग करने पर दिखाये जा सकेगें । इस हेतु अभिलेख का प्रत्येक 15 मिनट अवलोकन करने के लिए रूपये 50/— वसूल की जावेगी । इस कार्यवाही का संधारण भी संलग्न प्रपत्र क्र.—2 मे किया जावे । अभिलेख का अवलोकन कार्यपालन यंत्री द्वारा मनोनीत राजपत्रित

अधिकारी की देख रेख मे किया जावेगा जो आवेदन द्वारा अवलोकन कियेजाने वाले रिकार्ड की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा अवलोकन के लिए माह मे कोई दो तिथियॉ निर्धारित कर पटल पर प्रदर्शित की जावे ।

6/— पैरा–1 के अनुसार दी जाने वाली जानकारी तथा पैरा 5 मे प्रदर्शित अभिलेख के लिए निर्धारित फीस के विषय मे ,सूचना कार्यालय के बाहर सूचना पटल पर संलग्न प्रपत्र 3 के अनुसार प्रदर्शित की जावे ।

7/— यदि मनोनित अधिकारी /कर्मचारी उक्त रिकार्ड का प्रतियॉ देने मे असमर्थ हो तो 15 दिन के अंदर कारण दर्शाते हूए आदेश पारित करे एवं उसकी प्रतिलिपि संबंधित आवेदक को देकर इसकी सूचना कार्यपालन यंत्री को भी देगा ।

8/— उपरोक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा 15 दिरन के भीतर संबंधित मुख्य अभियन्ता को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी । अपील मे मुख्य अभियन्ता द्वारा पारित आदेश अंतिममाना जावेगा एवम तदनुसार कार्यवाही की जाना अनिवार्य होगा ।

9/— यदि मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना वैध कारण के उपरोक्त उल्लेखित रिकार्ड की प्रतिलिपि देने से इन्कार किया जाता है तो वे दण्ड के भागी होगे एवम इसका निर्णय संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा लिया जावेगा ।

10/— सभी महात्वपूर्ण निर्माणाधीन कार्यो के बारे मे प्रमुख जानकारी को बोर्ड स्थल पर लगाया जावे ।

हस्ता/—

(नन्हें सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृष्ठांकन क्र0 एफ–31–28–सत्ताईस/97 (1) भोपाल, दिनांकः 14 अगस्त, 97

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, म0प्र0 शासन, मंत्रालय ।
2. विशेष सहायक/निज सचिव, मान0 उप मुख्य मंत्री जी /राज्यमंत्री जी, नर्मदा घाटी विकास विभाग ।
3. सचिव, मान0 मुख्य मंत्री जी म0प्र0 शासन, मंत्रालय ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, समस्त विभाग ।
5. संमस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता/–
(आर0 सी0 गामोड़)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,नर्मदा घाटी विकास विभाग